रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274242
CG-DL-E-08072026-274242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
No. 494] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

## मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

## पशुपालन एवं डेयरी विभाग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

**सा.का.नि. 552(अ).—** प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) संशोधन नियम, 2026 के मसौदे को, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित उपबंधों के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 23 मार्च, 2026 में, अधिसूचना संख्या का. आ. 1496 (अ), तारीख 12 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी; तथा यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रति जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 23 मार्च, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार द्वारा, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 के साथ पठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) नियम, 2023 में नियम 23 के उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) (क) शुल्क, नीचे दी गई सारणी में उपबंधित अनुसार लिया जाएगा:

सारणी

| क्रमांक | प्रयोजन | प्रसंस्करण शुल्क (रुपए में) | |
|---|---|---|---|
| | | छोटे पशु | बड़े पशु |
| 1. | पंजीकरण | 12,000 | 12,000 |
| 2. | आंतरिक उपयोग हेतु प्रजनन के लिए पंजीकरण (Bi) | 18,000 | 30,000 |
| 3. | व्यापार हेतु प्रजनन के लिए पंजीकरण (Bt) | 30,000 | 30,000 |
| 4. | प्रत्येक उद्देश्य हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण | 3,000 | 3,000 |
| 5. | पंजीकरण में संशोधन | 12,000 | 12,000 |
| 6. | संस्थागत पशु नैतिक समिति का पुनरीक्षण | 1,200 | |
| 7. | बड़े पशुओं पर शैक्षणिक प्रोटोकॉल, जहाँ संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) अथवा डीन (अनुसंधान) या समकक्ष सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि इस श्रेणी के अंतर्गत संबंधित प्रोटोकॉल एक शोध-प्रबंध (थीसिस) या शैक्षणिक परियोजना है | - | 1,200 (प्रति प्रोटोकॉल) |
| 8. | बड़े पशुओं पर गैर-शैक्षणिक अथवा गैर-अकादमिक प्रोटोकॉल | - | 6,000 (प्रति प्रोटोकॉल) |

(ख) पंजीकरण में निम्नलिखित प्रयोजन सम्मिलित होंगे, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे—

(i) शिक्षा हेतु अनुसंधान,

(ii) वाणिज्यिक अनुसंधान,

(iii) अनुसंधान,

(iv) गैर-अनुसंधान वाणिज्यिक क्रियाकलाप, अर्थात् हाइपरइम्यून प्लाज़्मा एवं सीरम का उत्पादन।

(ग) वे संस्थान जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए सीसीएसईए में पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार शुल्क जमा करना अपेक्षित होगा।

(घ) जो संस्थान पहले से सीसीएसईए में पंजीकृत हैं और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें खंड (क) में उपबंधित अनुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा।

(ङ) पंजीकरण के संशोधन में निम्नलिखित शामिल होंगे, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे—

(i) समान या भिन्न प्रयोजन के लिए छोटे पशुओं की नई प्रजाति (जो पहले पंजीकृत न हो) का समावेश;

(ii) उसी परिसर में छोटे पशु सुविधा में संशोधन;

(iii) छोटे पशु सुविधा का उसी या भिन्न परिसर में विस्तार अथवा स्थान परिवर्तन;

(iv) बड़े पशु सुविधा में संशोधन जिसमें विद्यमान बड़े पशु सुविधा का विस्तार (संख्या में वृद्धि) उसी या भिन्न परिसर में या स्थान परिवर्तन सम्मिलित होगा; एवं

(v) समान या भिन्न प्रयोजन के लिए बड़े पशुओं की विभिन्न प्रजातियों का समावेश।

(च) यदि प्रयोजन एक से अधिक हों, तो शुल्क पंजीकरण, नवीनीकरण तथा संशोधन के संबंधित प्रयोजन के अनुसार लिया जाएगा।

(छ) वे संस्थान जो पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से पूर्व अपनी पशु गृह सुविधा का नवीनीकरण नहीं करेंगे, उनसे नवीनीकरण शुल्क के स्थान पर खंड (क) में उपबंधित अनुसार संबंधित प्रयोजन के लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।

(ज) शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(5) पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति द्वारा एकत्रित सभी शुल्क एवं अन्य प्रभार भारतकोष के माध्यम से भारत की समेकित निधि में जमा किए जाएंगे"।

[फा. सं. V-11011(14)/2/2021-CPCSEA-DADF]

डॉ. मुथुकुमारसामी बी., संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) नियम, 2023, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 फरवरी, 2023 में अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 82(अ), तारीख 2 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2026

**G.S.R. 552(E).–** Whereas the draft of the Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Amendment Rules, 2026, was published as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 23rd March, 2026 *vide* number S.O. 1496(E), dated the 12th March, 2026 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette notification was made available to the public on 23rd March, 2026;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 read with section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Rules, 2023, namely:-

1. (1) These rules may be called the Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Rules, 2023, in rule 23, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) (a) The fee shall be charged as provided in the Table below:

**Table**

| Serial number | Purpose | Processing fee (in rupees) | |
|---|---|---|---|
| | | Small animal | Large animal |
| 1. | Registration | 12,000 | 12,000 |
| 2. | Registration for breeding for in-house use (Bi) | 18,000 | 30,000 |
| 3. | Registration for breeding for the purpose of trade (Bt) | 30,000 | 30,000 |
| 4. | Renewal of registration for each purpose | 3,000 | 3,000 |
| 5. | Amendment in registration | 12,000 | 12,000 |
| 6. | Revision of Institutional Animal Ethics Committee | 1,200 | |
| 7. | Educational protocol on large animals where the Joint Director (Research) or Dean (Research) or equivalent competent authority would certify that the particular protocol under this category is a thesis or academic project. | - | 1,200 (per protocol) |
| 8. | Non-educational or Non-academic protocol on large animals. | - | 6,000 (per protocol) |

b. The registration shall include but not limit to the purposes of -

   i. Research for education;

   ii. Research for commercial;

   iii. Research;

   iv. Non-Research Commercial that is to say, Production of Hyperimmune Plasma and Serum.

c. The establishments which are applying for registration with CCSEA, for different purposes are required to submit the fee as per their purposes.

d. The establishments already registered with CCSEA and applying for renewal of registration are required to submit the renewal fee, as provided in clause (a).

e. The amendment in registration shall include but not limit to –

   i. addition of small animal species (other than the one already registered) for same or different purpose;

   ii. modification of small animal facility within the same premises;

   iii. expansion of small animal facility, same or different premises or change of location;

   iv. modification of large animal facility which will include expansion (increase in number) of existing large animal facility in same or different premises or change of location; and

   v. addition of different large animal species for same or different purpose.

f. If the purpose is more than one, the fee shall be charged as per the respective purpose of registration, renewal and amendment.

g. The establishments which do not renew their Animal House Facilities before the date of expiry of the registration, shall be charged registration fee for the respective purpose, as specified in clause (a) in place of renewal fee.

h. The fees shall be revised after completion of every three years.

(5) The fees and other charges collected by the Committee for Control and Supervision of Experiment on Animal shall be remitted to the Consolidated Fund of India through Bharatkosh".

[F. No. V-11011(14)/2/2021-CPCSEA-DADF]

Dr. MUTHUKUMARASAMY B., Jt. Secy.

**Note:** The Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Rules, 2023 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th February, 2023 *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 2nd February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.08 11:59:02 +05'30'